

Most Immediate/Vidhan Sabha Matter

**GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT
(COORDINATION BRANCH)
2ndFloor, ISBT Complex Kashmere Gate, Delhi-110006.**

F.No.34 (06)/Coord./Misc./DWCD/24-25/21493-96

Date: 27 MAR 2025

To
The Deputy Secretary (Questions),
Legislative Assembly Secretariat,
Govt. of NCT of Delhi, Old Secretariat,
Delhi - 110054.

Subject: Reg. Submission of Response to Unstarred Question 251

Respected Sir/Madam,

I am directed to submit, herewith, 100 copies (01 Original & 99 photo copies) of the reply to the following Unstarred Question for your kind reference:

Unstarred Question: 251

Additionally, a soft copy of the reply is being provided in a pen-drive.

The reply has been duly approved by the Hon'ble Chief Minister, Delhi.

This issues with the approval of Secretary, DWCD.

Encl: as Above.

Sincerely,


(SYMPHONY)

Assistant Director (Coord.)

F.No.34 (06)/Coord./Misc./DWCD/24-25/21493-96 Date: 27 MAR 2025

Copy to:-

1. PS to Secretary, Department of WCD, GNCTD, for kind information please.
2. OSD to Director, WCD, GNCTD, for kind information please.
3. SO to Special Director, DWCD, GNCTD, for kind information please.
4. Guard File.


(SYMPHONY)

Assistant Director (Coord.)

विभाग का नाम - महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार

विभाग का पता- पहला तल, आई.एस. बी.टी. बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006

अतारंकित प्रश्न संख्या-251

दिनांक :- 28-03-2025

प्रश्नकर्ता का नाम- माननीय विधायक श्री इमरान हुसैन

क्या माननीय मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

प्रश्न	उत्तर
क) दिल्ली के 18 से 60 वर्ष आयु की कितनी महिलायें हैं तथा इनमें से कितनी महिला समृद्धि योजना के लिए पात्र हैं;	सभी पात्र महिलाओं को लाभ दिया जायेगा।
ख) सरकार ने महिला समृद्धि योजना के तहत अब तक कितनी राशि का वितरण किया है;	सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5100 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।
ग) यदि कोई पात्र महिला आवेदन करने से वंचित रह जाती है तो उसके लिए क्या प्रावधान है; और	यदि कोई पात्र महिला आवेदन करते समय किसी भी समस्या का सामना करती है, तो विभाग और जिला कार्यालय उसे सभी अन्य योजनाओं की तरह सहायता प्रदान करेंगे।
घ) बल्लीमरान विधान सभा में महिला समृद्धि योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये कब से मिलना शुरू होंगे?	जैसे ही योजना को अधिसूचित किया जाएगा और योजना तथा पोर्टल के दिशा-निर्देश लागू हो जाएंगे, आवेदन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

चंचल
27/3/2025
चंचल यादव (आई.ए.एस)

सचिव

महिला एवं बाल विकास विभाग